# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0– 136/2013
अवधेश कुमार सिंह
बनाम
रामेश्वर भर एवं अन्य
आदेश

2.5.15 प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर , छपरा द्वारा विविध वाद संख्या 15/2011–12 में दिनांक 14.03.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है। वाद का संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी अवधेश कुमार सिंह वल्द शुभ नारायण सिंह ग्राम– इनायतपुर टोले पिलूई थाना+पो0– दाउदपुर, जिला– सारण द्वारा अपने स्वअर्जित भूमि जो मौजा इनायतपुर खाता नं0– 244 सर्वे नं0– 2533 रकवा 80 डिसमिल के अन्तर्गत आता है पर विभिन्न व्यक्तियों के कारण निर्मित संरचना को हटवाकर दखल कब्जा दिलाने हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम– 2009 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा के समक्ष विविध वाद संख्या– 15/2011–12 दायर की गई। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उक्त वाद के विपक्षियों पर नोटिस जारी कर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् यह पाते हुए कि वाद में स्वत्व संबंधी जटिल प्रश्न सन्निहित् है जिसका निराकरण इस नयायालय से संभव नहीं है, जिसके कारण वादी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर ही इस वाद को लाया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश को अवैधानिक बताते हुए इसे खारिज योग्य कहा गया क्योंकि उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दलील की विपक्षियों द्वारा उनके निजी जमीन पर अवैधरूप से दखल कब्जा किए हुए है इस बात को स्वीकार नहीं किया गया और ना ही इनके द्वारा समर्पित कागजातों पर भी संपूर्ण रूप से विचार किया गया। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि प्रश्नगत् भू–खण्ड को भू–अर्जन वाद संख्या– 1/1975–76 द्वारा अर्जित किया गया लेकिन आवेदक एवं अन्य लोगों द्वारा अपनी–अपनी जमीन भू–अर्जन से मुक्त कराने हेतु राजस्व पर्षद बिहार, पटना में विरोधपत्र दाखिल किया गया एवं अन्तोगत्वा उक्त जमीन भू–अर्जन से मुक्त हो गई, लेकिन उसी दौरान स्थानीय अधिकारियों ने सूची–1 की भूमि के अंशभाग को विपक्षीगणों के साथ बन्दोबस्त करते हुए पर्चा निर्गत कर दिया एवं पर्चाधारी को अवैधरूप से दखल कब्जा भी करा दिया। इन्होंने आगे यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0– 4365/2000 एवं एम0जे0सी0 नं0– 1459/2004 दायर की गई थी एवं सब–जज 9 के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 17.11.2009 के द्वारा कुल 96 डिसमिल जमीन का बाजार दर से आवेदक को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया। इस प्राकर आवेदक का उक्त भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक हक प्राप्त हो चुका है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को इस तथ्य पर निश्चितरूप से विचार करना चाहिए था कि विपक्षी संख्या–1 एवं 2 द्वारा जाली एवं फर्जी पट्टा प्रस्तुत किया गया जिसपर महंथ मेथी भगत का कोई हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलवाद परी तरह स्वीकृत करने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों के प्रत्युत्तर में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन हे कि विपक्षियों के पूर्वज को भूतपूर्व मालिक महंथ मेथी भगता के द्वारा दिनांक 07.07.1954 को प्रश्नगत् पलॉट नं0– 2533 के पॉच कठा भूमि को मकान बनाने हेतु पट्टा निष्पादित कर दिया और बाद में सरकार ने इसी प्लॉट में से 30 डिसमिल जमीन रामेश्वर भर, रामकिशुन भर एवं जतन भर के नाम से वर्ष–1995–96 में बंदोबस्त कर दिया। इनका यह कहना है कि आवेदक द्वारा वर्ष–1966 एवं 68 में उक्त जमीन खरीदने की बात कर रहें है जबकि विपक्षियों का पट्टा 1954 का है। साथ हीं विवादित भू–खण्ड पर विपक्षिगण के पूर्वज के नाम से बहुत पूर्व से चौकीदारी रसीद कटते आ रहा है। इसलिए आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाय।

सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, दास्तावेजों, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलील एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह

पूर्णतया स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में स्वत्व निर्धारण का जटिल प्रंश्न संलिप्त है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भी सभी तथ्यों पर पूर्णरूपेण विचार कर इस निष्कर्ष पर पहूँच गया है कि चूँकि आवेदक द्वारा मांगा गया अनुतोष का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा हीं की जा सकती है। इसलिए इसी आशय का निर्देश भी वादी को देते हुए वाद का निपटारा किया है जो कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 में वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।

2.5.15

आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।